

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गौती के संग
वर्षिकता - 2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बडेसर की
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 142
में अजय कुमार शर्मा के नाम अजय है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

नाक- 25/11/21

प्रार्थी
(अजय)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बडेसर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के
खाता संख्या 142 में प्रार्थी का नाम अजय कुमार शर्मा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
रिपोर्ट व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अजय है। जो संशोधित किया
ना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअ.नि.
अजय कुमार शर्मा
11/12/21

पटवारी
अजय
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
रिपोर्ट पटवारी अजय व भू0अ0नि0 अजय एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
बडेसर की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 142 में प्रार्थी का
अजय के बजाय अजय किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा) तहसील

1495/21

पत्र- 13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बडेसर जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 खाता
संख्या 142 में दर्ज प्रार्थी का नाम अजय के स्थान पर अजय संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।



प्रभारी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)